

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजपंच) भादरा मुकाम भादरा

अरविन्द बनाम छोदराग आदि

स मुकदमा 212 आरटीएक्ट सं० 42/14.06.22 रान 2022

रीख हुम	हुम या कार्यवाही मय इन्शियल जज	नगर व तारीख फर्द प्रकाम की हुम की समील जारी हुम
4-06-22	<p>प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अधिवक्ता श्री मदनलाल कड़वासरा के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई, बहस पर मनन करने एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थी सं० 1 को जरिये अर्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के रोही मौजा चक 2 एमआरएन के खाता सं० 80/62 के मु०न० 62 के किला न० 4 ता 7, 14, 15, 17 मु०न० 23 के किला न० 1, 2, 9 ता 12 की कुल 3.2510 है० नहरी व चक 2 एमआरएन के खाता सं० 22/17 के मु०न० 1 के किला न० 24, 25 मु०न० 2 के किला न० 20/2, 21, 22 की कुल 1.138 है० तथा चक 2 एमआरएन क खाता सं० 68/55 के मु०न० 7 के किला न० 21 ता 24 मु०न० 29 के किला न० 3 ता 8, 13 ता 18 मु०न० 30 के किला न० 1 ता 5, 10 की कुल 5.1870 है० खातेदारी में अप्रार्थी सं० 1 अपने नाम दर्ज वाद भूमि को रहन, बैय व मुत्तकिल ना करें। वकील प्रार्थीगण द्वारा आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करते हुए अप्रार्थीगण की तामिल जरिये रजिस्ट्रर डाक से करवायी जाकर रसीदें 3 दिवस में पेश की जावें। इस संबंध में अप्रार्थीगण को कोई उज एतराज हो तो असालतन या वकालतन हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.07.22 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी..... दिनांक 30/9/22 को पेश हो। <i>Sap</i></p> <p>वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते..... दिनांक 30/9/22 को पेश हो। <i>Sap</i></p>	
2/22	<p>पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी..... दिनांक 29/4/22 को पेश हो।</p>	
2/23	<p>पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी..... दिनांक 31/5/22 को पेश हो।</p>	



हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख
फर्द अहकाम की
हुकम की तामील
जारी हुआ

20/11/17 पत्रावली पेशा 500 वही न धरनी उपर
नही धार-धर आवाज तगाने पर
भी नही धार नही धर धर पत्रावली
भर धरनी भर धरनी न धरनी
ही धरनी धरनी नम्बर से कम
ही धरनी धरनी धरनी धरनी